राहत | यूपीसीडा बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, मामलों के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी

विवादित भूखंडों पर कब्जे के लिए और समय मिलेगा

यूपीसीडा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने किन्हीं कारणों से भूखंड पर भौतिक कब्जा न पा सकने वाले आवंटियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे भूखंड जिन पर विवाद के कारण इकाई स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है, वहां भौतिक कब्जे की अवधि का समय विस्तार किया जाएगा।

यह निर्णय मंगलवार को यूपीसीडा बोर्ड बैठक में लिया गया। कई आवंटी विद्युत की आपूर्ति की समस्या, ट्रेसिंग की अनुपलब्धता, अतिक्रमण समेत अन्य विभिन्न कारणों से इकाई स्थापित नहीं कर सके हैं। उन्हें आवंटन के बाद भौतिक कब्जा नहीं मिला है। उनके लिए भौतिक कब्जे की अवधि का, प्राधिकरण समय विस्तार करेगा। एसआईटी जांच और विधिक आदि से संबंधित समस्याओं के कारण प्रक्रिया देरी से पूरी हुई और भूखंड का उपयोग बिलंब से हुआ तो भी उन्हें भी सुविधा का लाभ मिलेगा।

ऐसे प्रकरण का समाधान करने के लिए सीईओ मयूर माहेश्वरी ने प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और लखनपुर स्थित मुख्यालय में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

> “इस निर्णय से प्राधिकरण स्तर पर आवंटियों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए समयबद्ध समाधान प्रदान करना है। इसके माध्यम से संबंधित पक्षों के मामले को निष्पक्षता से देखा जा सकेगा
>
> – **मयूर माहेश्वरी**, सीईओ यूपीसीडा

विलंब शुल्क जमा कर रजिस्ट्री करा सकेंगे

लखनऊ। यूपीसीडा ने बिना रजिस्ट्री कराए औद्योगिक, संस्थागत, कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग क्षेत्र में इकाई शुरू करने वालों को बड़ी राहत दी है। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटी अब विलंब शुल्क जमा कर भूखंड की रजिस्ट्री करा सकेंगे। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में पूर्व में प्रचलित वर्तमान दर पर लगने वाले विलंब शुल्क को हटाकर लीज प्रीमियम दरों पर दो प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रत्येक वर्ष के हिसाब से लगेगा। आवंटन तिथि से आवेदन करने की तिथि तक 10% ब्याज लगेगा। सुविधा का लाभ आवंटी 31 दिसंबर तक निवेश मित्र के माध्यम से रजिस्ट्री ऑनलाइन सर्विस से उठा सकेंगे।